

#2024/28

फर्द अहकाम


औमप्रकाश वगै०

बनाम

रमेश वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या ..18...../2024 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92 ए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14.02.2024	<p>वादी की ओर से यह वाद-पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामनिवास गुर्जर द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद-पत्र रजिस्टर हो। वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर आता है कि उक्त वाद-पत्र स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत पेश है तथा इकरारनामा को आधार बनाकर पेश किया गया है, जो कि न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः न्यायालय क्षेत्राधिकार में वाद-पत्र पेश नहीं होने से खारिज वाद-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कम हो।</p> <p> सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</p>	